

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—64/2018 (2018/00154) वाद पत्र

अनवान

1—अम्बालाल पिता नाथुलाल भील निवासी सेफटिया तहसील आमेट जिला राजसंमद

वादी

बनाम

- 1—किशना पिता पेमा भील निवासी सरेवड़ी का बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—नानु पिता पेमा भील निवासी सरेवड़ी का बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—छोगा पिता पेमा भील निवासी सरेवड़ी का बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—मोहन पिता पेमा भील निवासी सरेवड़ी का बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 05.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 09.05.2019 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सरेवड़ी का बाड़िया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 8 में दर्ज आराजी संख्या 106 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 109 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 110 रकबा 1.46 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.81 है0 भूमि स्थित हे। उसमे वादी का 1/5 हिस्सा का बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर एवं आराजी संख्या 109 रकबा 0.01 गैमुआचा. सामलाती रखते हुए स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 04.02.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी के अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा सरेवड़ी का बाड़िया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 110/1 रकबा 0.36 है0, भूमि अम्बालाल पिता नाथुलाल भील सा. सेफटिया तहसील आमेट तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 106 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 110/2 रकबा 1.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.44 है0 भूमि किशना, नानु, छोगा, मोहन पिता पेमा भील हिस्सा बराबर सा0 देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 109 रकबा 0.01 है0 गेमु आचा सामलाती बदस्तुर जमाबन्दी रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—64/2018 (2018/00154) वाद पत्र

अनवान

1—अम्बालाल पिता नाथुलाल भील निवासी सेफटिया तहसील आमेट जिला राजसंमद
वादी

बनाम

- 1—किशना पिता पेमा भील निवासी सरेवड़ी का बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—नानु पिता पेमा भील निवासी सरेवड़ी का बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—छोगा पिता पेमा भील निवासी सरेवड़ी का बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—मोहन पिता पेमा भील निवासी सरेवड़ी का बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा सरेवड़ी का बाड़िया तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 110/1 रकबा 0.36 है0, भूमि अम्बालाल पिता नाथुलाल भील सा. सेफटिया तहसील आमेट तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 106 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 110/2 रकबा 1.10 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.44 है0 भूमि किशना, नानु, छोगा, मोहन पिता पेमा भील हिस्सा बराबर सा0 देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 109 रकबा 0.01 है0 गेमु आचा सामलाती बदस्तुर जमाबन्दी रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 05.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

